उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज शशांक बनाम रामेश्वर मु. सं. 99/17	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
दिनांक 07-05-2018 आज यह पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प हल्देना पेश हुई। सायल शशांक झालानी दत्तक पुत्र जगनप्रसाद जाति महाजन निवासी मण्डावर ने गैरसायल रामेश्वर पुत्र मंग्याराम जाति मीना निवासी हल्देना व सूक्याराम उर्फ सुखराम पुत्र देवपाल जाति मीना निवासी कठहेडा तहसील कठूमर के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि ग्राम हल्देना तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 1144,1145,1146, कुल किता 3 रकबा 9.56 हैक्टयर सायल की कब्जा काश्त व खातेदारी की आराजी है जिससे गैरसायलान का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। सायल व गैरसायलान की आराजी के मध्य पचासों वर्ष पुरानी डोल बनी हुई है लेकिन गैरसायलान बदमाश किस्म के व्यक्ति है जो सायल की आराजीयात की डोल मेड को तोडते रहते है। अतः गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। गैरसायल संख्या 1 तामील के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुआ इसलिये एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2068-71 के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम हल्देना तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 1144,1145,1146, कुल किता 3 रकबा 9.	

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज शाहआलम बनाम रामेश्वर मु. सं. 99/17
	गैरसायलान द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा कर लिया गया या सायल के कब्जा काश्त में बाधा उत्पन्न की गयी तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होना संभावित है। ऐसी स्थिति में गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना उचित समझते है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को वाद पत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि ग्राम हल्देना तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 1144,1145,1146, कुल किता 3 रकबा 9.56 हैक्टयर में सायल के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे। डोल मेड को नहीं तोडे। मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे। निर्णय मजमे आम में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी महवा (जिला दौसा) कैम्प–हल्देना